न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
37/2024 प्रा.पत्र/2024	12.06.2024	24.07.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश बाबू मित्तल पुत्र श्री पारसमल जैन निवासी 415 बोहरों का मोहल्ला झिलाई तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पार्श्वनार्थ डिपार्टमेन्टल खिडगी मोड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304025 मोबाईल नं. 9929999735

2–मैसर्स पार्श्वनार्थ डिपार्टमेन्टल खिडगी मोड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज.।

3–श्री जय कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन निवासी चौहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स नेमी चन्द जय कुमार चंवरिया कॉम्पलेक्स गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021

4–मैसर्स नेमी चन्द जय कुमार चंवरिया कॉम्पलेक्स गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021

5–श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री पदमचन्द जैन निवासी सर्राफा बाजार निवाई जिला टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स जय कुमार एण्ड ब्रदर्स चंवरिया कॉम्पलेक्स गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021 मो. 9414860011

6–मैसर्स जय कुमार एण्ड ब्रदर्स चंवरिया कॉम्पलेक्स गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021

7–श्री विनय मालपानी पुत्र श्री देवनारायण मालपानी निवासी डी–15, कांवटिया अस्पताल जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी 184 बैराठियों का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001 मो. 9413340969

8–मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी 184 बैराठियों का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि श्री अभिषेक सोलंकी उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 24/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2023 को समय दोपहर 12:50 पी.एम. पर मैसर्स पार्श्वनार्थ डिपार्टमेन्टल खिडगी मोड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री राकेश बाबू मित्तल पुत्र श्री पारसमल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स पार्श्वनार्थ डिपार्टमेन्टल खिडगी मोड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री राकेश बाबू मित्तल पुत्र श्री पारसमल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश बाबू मित्तल पुत्र श्री पारसमल जैन ने स्वयं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. / मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, कन्फैक्शनरी बिस्किट, मसाले, नमकीन आदि व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ रैक में लगभग 20–22 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 250–250 ग्राम पैक **काजू नट्स (बिग ऐप्पल ब्राण्ड)** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राकेश बाबू मित्तल पुत्र श्री पारसमल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राकेश बाबू मित्तल पुत्र श्री पारसमल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **काजू नट्स (बिग ऐप्पल ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एसएसडब्ल्यू एवं पैकिंग की दिनांक सितम्बर 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 250–250 ग्राम के 4 नग मूल पैक हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **काजू नट्स (बिग ऐप्पल ब्राण्ड)** 250–250 ग्राम के 4 नग मूल पैक को ज्यों का त्यों 1–1 पैक को कागज के गत्ते के चार डिब्बों में रखकर, ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3846 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3846 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राकेश बाबू मित्तल पुत्र श्री पारसमल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पार्श्वनाथ डिपार्टमेन्टल खिडगी मोड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स नेमी चन्द जय कुमार चंवरिया कॉम्पलेक्स गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया एवं मैसर्स नेमी चन्द जय कुमार ने मैसर्स जय कुमार एण्ड ब्रदर्स चंवरिया कॉम्पलेक्स गांधी पार्क के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक का एवं मैसर्स जय कुमार एण्ड ब्रदर्स ने बतौर वारन्टी मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी 184 बैराठियों का चौक, दीनानाथ जी की गली, चांदपोल बाजार जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1092 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./4415/एक्ट/2023/4471 दिनांक 06.11.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **काजू नट्स (बिग ऐप्पल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री अभिषेक सोलंकी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र कुछ मानकों पर अन्तर होने की वजह से उक्त नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **काजू नट्स (बिग ऐप्पल ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **काजू नट्स (बिग ऐप्पल ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया हैं। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोक